10678 m.m.m.n.1-7-7-20

सूचना अनुभाग-2

संख्या— 🖁 💈 / XXII-2 / 2020—01(01)2009

देहरादून : दिनाक 🤭 जुलाई, 2020

अधिसूचना संख्याः 🐉 / XXII-2 / 2020-01(01)2009 दिनांकः 🖪 जुलाई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा, (संशोधन) नियमावली, 2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ / समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 10. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहराद्न।
- 11. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी (हरिद्वार) को नियमावली की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 200 प्रतियां सूचना अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(दिल्लीप जावलकर) सचिव।

10 û 143m (5 m) 47 m (11) 8 m (15) 8 m (15)

उत्तराखण्ड शासन सूचना अनुमाग-02 संख्या- ८) /XXII-2/2020-1(1)2009 देहरादून: दिनांक 7 जुलाई, 2020

अधिराूचना

प्रकींण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "उत्तरांचल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली, 2006" में अग्रेतर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विमाग राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त 1. नाम (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

तथा

प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 2. का संशोधन उत्तरांचल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली, 2006 जिसे यहां एतिस्मिनपश्चात् मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

6. उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

नियम ८ का 3. संशोधन मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

्रतम्भ--1 विद्यमान नियम

अनिवार्य (क) अनिवार्य

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(दो) किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या सम्पादकीय कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।

(ख) अधिमानी अर्हता

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीर्घी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगाः—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

या

(दो) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

सूचना अधिकारी \ /जिला सूचना अधिकारी

शैक्षिक अर्हताएं

सम्पादक

8.

(क) अनिवार्य अर्हताएं

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(क) अनिवार्य अर्हताएं

(एक) भारत में विधि द्वारा रथापित किसी विश्वविद्यालय रो एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत साहित्य के साथ रनातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(दो) किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या सम्पादकीय कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।

(ख) अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधीं भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा:-

(एक) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो

या

(दो) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो

(क) अनिवार्य अर्हताएं

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से (दो) भारत में विधि द्वारा रथापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा।

(ख) अधिमानी अर्हता

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधीं भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा:—

(एक) समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का तीन वर्ष का अनुभव।

(दो) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संगीत / प्रकाशन—व्यवस्था / अभिनय / निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा।

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

या

राट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

3. फीचर लेखक

(क) अनिवार्य अर्हताएं

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक। पत्रकारिता में एक वर्ष का डिप्लोमा।

अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा:—

(एक) समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फींचर लिखने का तीन वर्ष का अनुभव।

(दो) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संगीत / प्रकाशन—व्यवस्था / अभिनय / निर्देशन इत्यादि में एक वर्षीय डिप्लोमा।

(तीन) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

या

राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(क) अनिवार्य अर्हताएं

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक।

(ख) अधिमानी अर्हता

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीर्धी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा:—

(एक) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लेखन का तीन वर्ष का अनुभव।

(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत / प्रकाशन--व्यवस्था / अभिनय / निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा।

(ख) अधिमानी अर्हता

अन्य वातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधीं भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा:-

- (एक) समाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लेखन का तीन वर्ष का अनुभव।
- (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/ प्रकाशन—व्यवस्था/अभिनय/ निर्देशन इत्यादि में एक वर्षीय डिप्लोमा।

(तीन) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो

या राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो

नियम 9 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर का संशोधन स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

आयु:-

स्तम्म–1 विद्यमान नियम

सीर्धी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयू, यदि पद 01 जनवरी से 30 जन की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष को 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। परन्तू अनुस्चित जातियों. अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 01 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

मामले में जिन्हें सरकार द्वारा सगय-सगय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

नियम 12 का संशोधन

12.

मूल नियमावली में नीचे रतम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति लिए अन्तिम रूप अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाये।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, शारीरिक वह मानसिक रूप से स्वस्थ नही है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे-

आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तूत करना अपेक्षित नही होगा।

परन्तु यह और भी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम, संख्या—49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेत चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अर्न्तगत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगो को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से

(दिलीप_ज्ञावर्लकर)

सचिव ।

परिशिष्ट का संशोधन मूल नियमावली में परिशिष्ट को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:--

परिशिष्ट(क) नियम 4(2)देखिये

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन लेवल एवं वेतनमान	स्थाई	अस्थाई	कुल पदों की संख्या
2	अपर निदेशक	लेवल−13, ₹ 18500−214100		01	01
1	संयुक्त निदेशक	लेवल-12, ₹ 78800-209200	01	01	02
2	संयुपत । गयराज उपनिदेशक	लेवल−11, ₹ 67700−208700		02	04
3 4	सहायक निदेशक	लेवल−10, ₹ 56100−177500		04	07
5	सहायक निदेशक	लेवल−10, ₹ 56100−177500			01
3	(तकनीकी)				
6	सम्पादक	लेवल−10, ₹ 56100−177500	,—	01	01
7	सूचना अधिकारी	लेवल-7, ₹ 44900-142400	07	11	18
8	जिला सूचना	लेवल−7, ₹ 44900−142400	13	_	13
	अधिकारी				
9	फोटो / फिल्म	लेवल−7, ₹ 44900−142400	01	_	01
	अधिकारी				
10	व्यवस्थाधिकारी	लेवल—7, ₹ 44900—142400	_	01	01
11	फीचर लेखक	लेवल−7, ₹ 44900−142400	_	01	01

आज्ञा से

(दिलीप जावलकर) सचिव।

Uttarakhand Government
Information Section-02
No- & j /XXII-2/2020-1(1) 2009
Dehradun, Dated: 3 July, 2020

Notification Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, is pleased to make the following rules further to amend the Uttarakhand Information And Public Realtions Department Gazetted Service Rules, 2006; namely-

The Uttarakhand Information and Public Relations Department Gazetted Service (Amendment) Rules, 2020

Short title and commencement:

- 1. 1. These rules may be called the Uttarakhand Information and Public Relations Department Gazetted Service (Amendment) Rules, 2020
 - 2. It shall come into force at once.

Amendment of Rule 6

2. In the Uttarakhand Information and Public Relations Department Gazetted Service Rules, 2006 hereinafter referred to as the principal rules for the existing rule 6 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:

Column 1 (Existing Rule)

6. Reservation for scheduled caste, scheduled tribe, other backward casts and other category candidates of Uttarakhand state will be done as per the orders of the government at the time of recruitment.

Column 2 Rule as hereby substituted

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, Economically weaker section and other categories of Uttarakhand State shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Amendment of 3. Rule 8

When the wall Column

Educational Qualification

1. Editor

Column 1 (Existing Rule)

(a) Essential Qualification

- (i) Bachelor degree with Hindi or Sanskrit literature subject from University established by law in India or any equivalent qualification recognized by the Government.
- (ii) Five years experience of journalism or editorial work in a leading daily or monthly newspaper or in any Government Department.

(b) Preferential Qualification

A candidate who has

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years.

Or

(ii) Have obtained B certificate of National Cadet Corps.

shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

(a) Essential Qualification

(i) Bachelor degree with Hindi subject from a University established by law in India or any equivalent degree recognized by the Government.

Column 2 Rule as hereby substituted

In the prinicpal rules for the existing rule 8, set out in Column 1 below, the

rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:

(a) Essential Qualification

- (i) Bachelor degree with Hindi or Sanskrit literature subject from University established by law in India or any equivalent qualification recognized by the Government.
- (ii)Five years experience of journalism or editorial work in a leading daily or monthly newspaper or in any Government Department.

(b) Preferential qualification

A candidate who has

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years.

Or

(ii) Have obtained B or C certificate of National Cadet Corps.

shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

(a) Essential Qualifications

Bachelor degree with any subject from a University established by law in India or any equivalent degree recognized by the Government and one year diploma in journalism from a recognized university established by law in

2.Information officer/ District Information officer

(ii) Diploma in journalism from a university established by law in India or any equivalent diploma recognized by the Government.

(b) Preferential Qualification

A candidate who has

- (i) 3 years experience of writing articles, scripts and feature writing in newspapers and magazines.
- (ii) Diploma in Music, Publication Management, Acting and Direction etc. from any institution recognized by the government.
- (iii) served in the Territorial Army. for a minimum period of two years.

Or

Have obtained B certificate of National Cadet Corps.

shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

(a) Essential Qualification

- 2. Feature writer
- (i) Bachelor degree with Hindi subject from University established by law in India or any equivalent degree recognized by the Government.
- (ii) Graduation or Diploma in journalism from a university

India or any equivalent degree recognized by the Government.

Or

Bachelor degree in Journalism from a recognized university established by law in India.

(b) Preferential Qualification

A candidate who has

- (i) 3 years experience of writing articles, scripts and feature writing in newspapers and magazines.
- (ii) One year diploma in Music, Publication Management, Acting and Direction etc. from any institution recognized by the government.
- (iii)served in the Territorial Army for a minimum period of two years.

Or

Have obtained B or C certificate of National Cadet Corps.

shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

(a) Essential Qualification

- (i) Bachelor degree with Hindi subject from University established by law in India or any equivalent degree recognized by the Government.
- (ii) Graduation or Diploma in journalism from a university

established by law in India or any equivalent diploma recognized by the Government.

(b) Preferential Qualification

A candidate who has

- (i) 3 years experience of writing articles, scripts and feature writing in newspapers and magazines.
- (ii) Diploma in Music, Publication Management, Acting and Direction etc. from any recognized institution by the government of India.

shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment. established by law in India or any equivalent diploma from a institution recognized by the Government.

(b) Preferential Qualification

A candidate who has

- (i) 3 years experience of writing articles, scripts and feature writing in newspapers and magazines.
- (ii) One year diploma in Music, Publication Management, Acting and Direction etc. from any recognized institution by the government of India.
- (iii) served in the Territorial Army for a minimum period of two years.

Or

Have obtained B or C certificate of National Cadet Corps.

shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

ent of 4. In the principal rules for the existing rule 9, set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:

Column 1 (Existing Rule)

applicant for direct of Age recruitment, if the posts advertised during the period from January 1 to June 30, So on January 1 of that year, age of applicant should be 21 years and a maximum of 35 years. If the posts are advertised during the period from July 1 to December 31, age of candidate should be 21 years and a maximum of 35 years on July 1st of that year. But in the cases of

Column 2 Rule as hereby substituted

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on July 1 of the year in which vacancies are advertised.

Provided that upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, scheduled tribes, other backward classes and other such categories, which may be notified by the candidates belonging to Scheduled Castes, scheduled tribes, other backward classes and other such categories, which may be notified by the Government from time to time, the maximum age will be increased as prescribed.

Covernment from time to the shall be greater by such number the years as may be prescribed.

Amendment of of Rule 12

5.

In the principal rules for the existing rule 12, set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:

Column 1 (Existing Rule)

Physical fitness

A person shall not be appointed to a position unless he is in good health. both mentally physically, and is not equipped with any physical defects which may cause him to be obstructed in performing his duties efficiently. Before a candidate is finally approved for appointment, the candidate will be expected to be successful in the medical examination conducted by the Medical Council.

But a fitness certificate will not be expected from the candidates recruited by promotion.

Column 2 Rule as hereby substituted

No candidate shall be appointed to a post in service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment —

the candidate has to pass the examination of Medical Council.

Provided that a medical certificate shall not be required from a candidate appointed by promotion:

Provided further that in order of Section 33, the posts identified for this purpose and the categories identified under Section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (Act no. 49 of 2016), shall not be denied for appointment as per rules

By Order

(Dilip Jawalkar) Secretary Amendment of 6. In principal rules, the Appendix shall be substituted as follows, namely:-

Appendix See rule 4(2)

S.No	Name of Post	Pay matrix level	Permanent	Temporary	No of Total
					Posts
1	Additional Director	Level - 13 -18500-214100	00	01	01
2	Joint Director	Level - 12-78800-209200	01	01	02
3	Deputy Director	Level - 11 -67700-208700	02	02	04
4	Assistant Director	Level - 10 - 56100-177500	03	04	07
5	Assistant Director (T	ech.)Level - 10 - 56100-177500	01	00	01
6	Editor	level - 10 - 56100-177500	00	01	01
7	Information Officer	Level - 07- 44900- 142400	07	11	18
8	District Information	Level - 07- 44900- 142400	13	00	13
	Officer				
9	Photo Film Officer	Level - 07- 44900- 142400	01	00	01
10	Management Officer	Level - 07- 44900- 142400	00	01	01
11	Feature Writer	Level - 07- 44900- 142400	00	01	01

By Order

(Dilip Jawalkar)
Secretary